बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक– टी 3/योजना–10/2016– 1333 पटना, दिनांक– 03/5/16

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

औपचारिक रूप परामर्शित

द्वारा– वित्त विभाग।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 07 जिलों में यथा–सीतामढ़ी, बेतिया/नवादा/बक्सर/कटिहार/अरवल एवं जमूई में नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–बी0एस0डी0एम0/बजट–23/2015–63 दिनांक–28.03.2016 (छायाप्रति संलग्न) के कंडिका–2.6 के दिशा–निर्देश के आलोक में भूमि के उपलब्धता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 07 जिलों यथा– सीतामढ़ी, बेतिया/नवादा/बक्सर /कटिहार/अरवल एवं जमूई के शिक्षित युवतियों को कुशल तकनीशियन एवं कामगार के रूप में तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से **"नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना"** योजनान्तर्गत नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर 04 आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार/स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2– वर्त्तमान में उक्त स्थापित होनेवाले महिला संस्थान पूर्व से इन जिलों में स्थापित संस्थान के भवनों/किराए के भवन में (अपना भवन निर्मित होने तक) चलाया जाना है। इसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016–17 से की जाएगी तथा प्रशिक्षण वर्ष 2016 से प्रारंभ किया जाएगा। संस्थानों के लिये अपना प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन हेतु भूमि उपलब्ध/हस्तांतरित होते ही भवन निर्माण की कारवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान मे 04 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना कर संस्थान चलाया जाना है, जो निम्नवत् है–

कमांक–	व्यवसाय का नाम–	यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थियों की सं0	प्रशिक्षण अवधि
1–	इन्फॉरमेशन एण्ड कॉमन्यूकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेंटेनेन्स	2(1+1)	42	दो वर्ष
2–	इलेक्ट्रीशियन–	2(1+1)	42	दो वर्ष
3–	मैकेनिक कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स अपलाइएन्सेज	2(1+1)	42	दो वर्ष
4–	इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक	2(1+1)	42	दो वर्ष
	कुल–	08	168 (एक सौ अड़सठ)	

नव–स्थापित होनेवाले महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाना हैः–

पद	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 7)
प्राचार्य	9300–34800	4800	01 x 7 = 7
उप प्राचार्य	9300–34800	4600	01 x 7 = 7
सहायक अधीक्षक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
मुख्य अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
व्यवसाय अनुदेशक	9300–34800	4200	08 x 7 = 56
गणित अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
ड्राइंग अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
अंग्रेजी अनुदेशक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
प्रधान लिपिक	9300–34800	4200	01 x 7 = 7
उ0व0लिपिक	5200–20200	2400	02 x 7 = 14
भंडारपाल	5200–20200	1900	01 x 7 = 7

डाटा इंट्री ऑपरेटर	5200–20200	2400	01 x 7 = 7
नि0व0लिपिक	5200–20200	1900	02 x 7 = 14
मिश्रक	5200–20200	1900	01 x 7 = 7
कार्यालय परिचारी	4440–7440	1800	06 x 7= 42
स्वीपर	4440–7440	1300	01 x 7 = 7
		कुल–	30 x 7 = 210 (दो सौ दस पद)

अंग्रेजी अनुदेशक/डाटा इंट्री ऑपरेटर/कार्यालय परिचारी तथा स्वीपर की नियुक्ति संविदा/आाउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाएगा।

प्रति संस्थान स्थापनादि व्यय संबंधी प्रस्ताव :–

स्थापना व्यय	8000000.00
कार्यालय व्यय एवं अन्य	1000000.00
मशीनें एवं उपस्कर	4000000.00
योगः–	13000000.00 रुपये (रूपये एक करोड़ तीस लाख) मात्र ।

इस प्रकार 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर कुल व्यय 7 x 130 = 910 लाख अनुमानित है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें तथा प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित जिलों) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।

4– इस योजना के तहत राशि की निकासी संबंधित वित्तीय वर्ष में मुख्य शीर्ष– 2230–श्रम और रोजगार, उपमुख्य शीर्ष– 03–प्रशिक्षण, समूह शीर्ष–राज्य योजना लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मांग संख्या–26, उपशीर्ष–0101– नया महिला औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–पी0 2230031010101 एवं निर्माण कार्य पर व्यय मुख्य शीर्ष–4059 –लोक निर्माण कार्य पर पुँजीगत् परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष– 60 –अन्य भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0112– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड–पी0 4059600510112 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5– इस राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार/उपकोषागार से संबंधित उपशीर्ष के बजट उपबंध के अनुरूप आवंटन निर्गत करने के पश्चात किया जाएगा।

6– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–बी0एस0डी0एम0 /बजट–23/2015–63 दिनांक–28.03.2016 में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रीपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है, जिसके आलोक में यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।

7– स्वीकृत्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–10/2016– 1333 पटना, दिनांक– 3/5/16

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों)/वित्त विभाग (बजट– शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, /सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार', श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–10/2016– 1333 पटना, दिनांक– 3/5/16

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी /निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक (परीक्षा), पटना/सभी संबंधित प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी स्थापना शाखा, नामांकन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा, एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष)/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी,